

प्रारूप नं. 1 मूल्य - 200+ जी.एस.टी.

राजस्थान आवासन मण्डलं

नियमितीकरण हेतु आवेदन पत्र

गिमान लेखाधिकारी (वसूली)	3	की सत्यापित
जिस्थान आवासन मण्डल	क्रमांक : 2018/ 27.	29 फोटो
त-प्रथम, प्रताप नगर, सांगानेर		
वेषय :- आवास संख्या	योजना प्रताप नग	र,जयपुर
शहर जयपुर को मेरे नाम f	नेयमितीकरण करने के सम्बन्ध में।	
A) 1. आवेदक का नाम (अंतिम क्रेता)		जन्मतिथी
2. पिता/पति का नाम :		
 क. मकान संख्या (जिसका निय 	मितीकरण होना है) '	
ख. योजना : प्रताप नगर, सांगाने	र, जयपुर	
4. राष्ट्रीयता :		***************************************
/ /		
-40		
	मो. नं	
ई-मेल आई, डी	·······	
आधार कार्ड नं	पैन कार्ड नं	
B) भूल आवंटी/आवंटन से सम्बन्धि		
मूल आवण्टी का नाम	i gant.	
पिता/पति का नाम		
पंजीकरण वर्ष		वरीयता क्रमांक
वर्तमान पता		
आवंटन पत्र क्रमांक/दिनांक		कब्जा पत्र क्रमांक/दिनांक
कब्जा प्राप्त करने की दिनांक	v	
ार्थना पत्र के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत		
. प्रशासनिक शुल्क जमा की रसीद	Management of the control of the con	मूल मुख्त्यार नामा
. मूल वसीयत नामा	मूल आवंटन पत्र	0
. जमा राशि विवरण	 शपथ पत्र/वचनबद्धता पत्र 	 क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र
0. आधार कार्ड	11. पैन कार्ड की प्रति	12, अन्य
		क्र.म.श. 2

क्रमांक 2018/ 2729 राजस्थान आवासन मण्डल, रसीद नियमितिकरण आवेदन पत्र

आवास सं		3
श्री / श्रीमती		
 प्रशासनिक शुल्क जमा की रसीद मूल वसीयत नामा जमा राशि विवरण आधार कार्ड 	 मूल इकरारनामा मूल आवंटन पत्र शपथ पत्र / वचनबद्धता पत्र पैन कार्ड की प्रति 	 मूल मुख्त्यार नामा भौतिक कब्जे की मूल प्रति क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र अन्य
उपरोक्त आवेदन पत्र पंजिका में क्रम सं		

हस्ताक्षर प्राप्त कर्ता

	1			06 P	0 0/0
	श्री/श्रीमती (मूल आवंटी)			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	0%
		평 원	1 / 2/14(1)	10101010101010101010101010101010101010	
त्र/पलि	तथा श्री /श्रीमती		से श्री/श्रीमती		
क्रय किया	तथा श्री /श्रीमती	0 /0	Arr s A		-
	तथा श्री /श्रीमती	1 શ્રો / બ	(MI)		17.00
ने क्रय कर ां	लेया है अतः उक्त आवास का नियमितीकरण	ग मेरे पक्ष मे	करने का श्रम कर।		
				·	
(क)	मै एतटहारा घोषणा करता हैं / करती हैं	कि उपरोक्त	त सूचना मेरे सर्वोत्तम इ	ान में सहा है आर कुछ	३ भी
V-7					
(ਬ)	छिपाया नहीं गया है तथा आवास भावत मैंने राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति	विनिमय 19	१७७ को पढ़, समझ लिया	ह आर इन्ह स्वाकार व	०४ता
	- × /				
(ग)	हूं/ करता हूं। मेरी मृत्यु होने की दशा में मैं निम्नलिखि	त व्यक्तियों	को अधिकार क्रम में ना	म ।नदराक क रूप म	-11-1
	निर्देशित करता हूँ / करती हूँ ।				
क्र.सं	नाम		आयु	सम्बन्ध	
1.					
2.	i				
3.					
आय वर्ग के	अनुसार शुल्क जमा करवाकर रसीद संलंग	न कर रहा है	हैं / रही हैं ।		
	नुसार प्रशासनिक शुल्क एवं जी.एस.टी. @		N P.		
1.	उच्च आय वर्ग	_	12,000 + 2160 =	14160/-	
2.	मध्यम आय वर्ग (व)		9,000 + 1620 =	10620/-	
3.	मध्यम आय वर्ग (अ)	_	7,000 + 1260 =	8260/-	
4.	अल्प आय वर्ग		5,000 + 900 =	5900/-	
5.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	-	3,000 + 540 =	3540/-	
				आवेदक के हस्त	ाक्षर
ान :			नाम :	•••••	***
नांक :			पताः		
	T T				
			**********		***
	⁄ राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करावें।	90			

Scanned with CamScanner

प्रारूप नं. 2

आवेदन कर्ता की सत्यापित

pain!	(₹. 50/-	के स्टाम्प	पेपर पर	नोटरी	पब्लिक / प्रथम	श्रेणी	दण्डनायक	से	सत्यापित	करावें)
E,										

		फाटा
¥	शपथ -पत्र	
*1	पुत्र/पुत्र	ो/पत्नी श्री
*	आयु निवासी	ਸ ਤੋਂ /ਕੜਕੀ ਤੋਂ ਨਿ
***************************************	सशपथ हलिकया बयान करत	ा हैं कारता है कि -
1.	यह कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास सं.	
	शहर जयपुर में अवंटन पत्र संख्या दिनांव	
	श्री / श्रीमती	को किराया क्रय/नकद
	भुगतान पद्वति पर आविण्टत किया गया था। इस आवास को दिनांक	क इक्सरनामा चे श्री /शीमती
	(एग्रीमेन्ट) द्वारा श्री/श्रीमती	
	श्री/श्रीमती	
	को विक्रय किया जिसे दिनांक के इकरारनामा द्वारा मैंने	
2.	यह कि उक्त आवास के पेटे पंजीकरण राशि से लेकर बोर्ड को देय समस्त मैं अपने उपर लेता हूँ। अगर भविष्य में भी कोई राशि मकान के पेटे बोर्ड । उसका भुगतान करने के लिए मैं वाध्य रहूंगा/रहूंगी।	त राशि का भुगतान का दायित्व
3.	अगर यह पाया जावे कि मैंने कोई तथ्य छिपाया है अथवा बोर्ड को देय र हुआ है तो सम्बन्धित आवास का नियमितीकरण निरस्त कर आवास को बोर उसे नीलाम करने का बोर्ड को अधिकार होगा जो मुझे स्वीकार्य है।	
4.	यह कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा मकान के विरुद्ध मुझे बताई निर्धारित अवधि में जमा करवा दूंगा अन्यथा मण्डल को मेरे द्वारा जमा कर करने का पूरा अधिकार होगा एवं आवास को मण्डल की अधिशेष सम्पदा अन्य व्यक्ति को आवण्टित करने का पूर्ण अधिकार होगा, जो मुझे स्वीका	ाया गया प्रशासनिक शुल्क जब्त मानते हुए नीलाम करने अधवा
शपथ	। ग्रहिता	: *:
	•	
	सत्यापन	
	क्त सूंचना मद सं. 1 से 4 तक पूर्णतः सत्य एवं दुरूरत है। इसमें कुछ भी है। ईश्वर मेरी मदद करें।	मिथ्या नहीं है। मैंने कोई भी तथ्य
		शपथ ग्रहिता
साक्षी :-	क्रेत	T
	पत	

(रु. 50/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी पहिनक/प्रथम भेणी गण्डनामक में सल्मावित कराये)

आवेदन कर्ता की सत्यापित फोटो

			77.51
	वचनबद्धता (अण्डरटेकिंग)		AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF
Ϋ		नी की	
	ं आयु विवासी		
	यमन बद्धता करता हैं / करती हैं वि		
1.	यह कि राजस्थान आवारान मण्डल द्वारा आवास से शहर जयपुर में आवंटन पत्र संख्या	a	प्रावासीय योजना प्रताप नगर द्वारा
	श्री / श्रीमती		को किराया क्रय/नकद
	भगतान पद्वति पर आवण्टित किया गया था। इस आवास को दिनांक		के इक्सरनामा
	(एग्रीमेन्ट) द्वारा श्री/श्रीमती		न श्री/श्रीमती
	को विक्रय किया व दिनांक	*: (***********	क इकरारनामा द्वारा
	श्री/श्रीगती	मिने छ	ाशेद लिया था।
2.	यह कि मैं उक्त आवास के पेटे समस्त बकाया शशि जमा करवा चालानों/रसीदों की प्रमाणित फोटों प्रतियां पेश कर दूंगा/दूंगी। शपथ-पन्न में भी अंकित कर दूंगा/दूंगी तथा बोर्ड को किये गये भुगता- जायेगा।	दृंगा/ जिसव	दंगी। जिसके सब्त में मृल ज उल्लेख मेरे द्वारा प्रस्तुत
3.	यह कि मकान के पेटे किसी भी प्रकार की धनराशि जो मेरे द्वारा मण्ड वह शेष रह गई है अथवा रहेगी, तो यह राशि मय व्याज व शास्ति ज उसके भुगतान का समस्त भार मेरे ऊपर होगा और गाँगे जाने पर मैं औ इस प्रयोजनार्थ मण्डल को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति होगी तो उ होगी।	तो मण्डर विलम्ब र	ल के नियमानुसार देय बनेगी बोर्ड में जमा करा दूंगा/दूंगी।
4.	यह कि राजस्थान आवासन मण्डल की देय राशि का पूर्ण भुगता- नियमितीकरण करवाने हेतु मूल प्रपत्रों में किसी भी प्रकार की हैं। नियमितीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत मेरे नाम से नियमित किये गये आव निरस्त करने का तथा अन्य समस्त विधिक दायित्व गेरा स्वयं का हें अधिशेष सम्पदा मानते हुए नीलाम करने अथवा अन्य व्यक्ति को आव मण्डल को पूर्ण अधिकार होगा, जो गुझे स्वीकार्य है।	रा—फेरी वास के ोगा तथ वण्टित	या जालसाजी की दशा में आवण्टन/नियमितीकरण को ा इस आवास को मण्डल की करने का राजस्थान आवासन
5.	यह कि राजस्थान आवासन मण्डल के सगरत नियमों को मानने के	लिए मैं	वाध्य रहूंगा।
			हरताक्षर क्रेता आवंटी
साक्षी :		क्रेता	
		पता	

क्षतिपूर्ति बंधक पत्र

आवेदन कर्ता की सत्यापित फोटो

		1,101
क्षतिपूर्ति व	नात मान्य न	
U2 /1110	न्धक पत्र एक लिख देता/देती हूँ मैं	
	William Committee of the Committee of th	***************************************
	निवासी	रहने वाला/वाली ने
वेमुकाम		
	बहक	
राजस्थानः	आवासन मंडल जरिये लेखाधिकारी वसूली राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर वृत्त प्रथम	
1.	यह कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा मकान नं.	योजना प्रताप नगर
	शहर जयपुर में किराया क्रय/नकद भुगतान पद्धित के अंतर्गत मूल आवंटी श्री/१	[[Ha]
	के नाम आवंटित किया गया था। आवंटी ने उ	क्त आवास का कब्जा
	दिनांक को ले लिया था।	
	यह कि मैंने उक्त आवास को मूल आवंटी से दिनांक	ने जरिये इकरारनामा,
2.	C THE THE THE THE THE CONTRACT OF THE CONTRACT	Company of the contract of the
	मुखत्यारनामा द्वि.पक्ष एवं वसायत द्वारा पूर्ण प्रातकात सारा पर वस विवास पर मेरा स्वयं का व्यक्तिगत रूप से मालिकाना हक है व मैं ही उक्त मकान व	न काबिज हूँ। (दितीय
	पक्ष)	
	अथवा	
		Pris
	यह कि उक्त आवास का मूल आवंटी जरिये इकरारनामा, मुखत्यारनामा व वसीयत	को विक्रय
	को श्री/श्रीमती को मुझे जरिये इव कर दिया था तथा द्वितीय पक्ष ने दिनांक	प्रतिफल राशि मैंने
	कर दिया था तथा द्वितीय पक्ष ने दिनाक	है। (ततीय पक्ष)
	श्री / श्रीमती (Igtild 44)	C 201 11.8
	यह कि उक्त आवास अब कानूनन एवं नियमानुसार राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा	मेरे नाम करवाने हेतु.
3.	यह कि उक्त आवास अब कोनूनन एवं निवनातुआर मैंने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया है जो विचाराधीन हैं।	
	मैंने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विचा है जा रिकास	\ \ * =================================
	यह कि उक्त मकान चूंकि राजस्थान आवासन मंडल द्वारा मेरे पक्ष में इस्तान्तरण किये	जान हतु म स्वय इस
4.	यह कि उक्त मकान चूकि राजस्थान आधार गर्स क्रास्त्र । क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र के आधार पर निम्नलिखित शर्तों से पावन्द रहूँगा / रहूँगी।	
	१ जन्म से बातान्वरण हेत	जो दस्तावेज प्रस्तुत
(ক)	यह कि मैंने राजस्थान आवासन मंडल में उक्त मकान के सम्बन्ध में हस्तान्तरण हेतु	त्य हैं भविष्य में इसमें
(47)	यह कि मैंने राजस्थान आवासन मंडल में उक्त मकान के सम्बन्ध में इस्तासिए छु किए हैं उन सभी दस्तावेजों पर मूल आवंटी / द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर हैं जो सही व स	गत रूप से जिम्मेदार
	यदि किसी प्रकार का विवाद हुआ ता उसका लिया ।	
	रहूँगा / रहूँगी।	

- (ख) यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार हस्तान्तरण किया जाता है तो उसमें प्रयुक्त किए जाने वाली प्रक्रिया के लिए मैं स्वयं व्यक्तिगत तौर पर पावन्द रहूँगा/रहूँगी।
- (ग) मेरे पक्ष में हस्तान्तरण के पश्चात् मूल आवंटी का आवंटन पत्र निरस्त करने पर मूल आवंटी द्वितीय पक्ष की और से कौई ऐतराज नहीं होगा इसके लिये मैं स्वयं अपने आप को कानूनन रूप से मय हर्जे—खर्चे के पायन्य करता / करती हूँ।
- (u) यह कि उन्त मकान के संबंध में कोई विवाद झगड़ा नहीं है तथा भौतिक रूप से मेरा स्वयं का कब्जा है ना ही अन्य किसी व्यक्ति को बेचान इकरार हस्तान्तरित दान वसीयत रहन भोगलाव किया हुआ है। मेरे पक्ष में हस्तान्तरण के बाद मैं किसी भी प्रकार की अड़चन विवाद होने पर मैं व्यक्तिगत रूप से कानूनन मय हजें व्यर्थ के आवासन मंडल के पक्ष में अपने आपको पावन्द करता/करती हूँ।
- (ड) यह कि मेरे पक्ष में उक्त हस्तान्तरण के पश्चात् राजस्थान आवासन मंडल के समस्त नियमों का सुचारू रूप से पालन करूँगा/करूँगी इससे चूक के लिए यदि राजस्थान आवासन मंडल द्वारा मेरे आवंटन हस्तान्तरण को रदद किया जाता है तो मुझे किसी प्रकार की आपित नहीं होगी तथा इससे राजस्थान आवासन मंडल को होने वाली समस्त प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए में कानूनन रूप से हर्जे खर्चे के लिए पावन्द रहूँगा/रहूँगी।

लिहाजा वह धितिपूर्ति बन्धक पत्र मैंने अपनी राजी खुशी अक्ल होशियारी विना किसी दवाव के बहकावे में तन्दुरूरती की हालत में सोच—समझ कर अपनी सूझ—बूझ से राजरथान आवासन मंडल के पक्ष में निष्पादित कर दिया है जो सही व सनद रहे वक्त जरूरत काम आवे इति दिनांक

निष्पादनकर्त्तां

रधान:

साक्षी-1

साक्षी-2

(प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट/सब जज/नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित)

opin test.
(fd)

शपथ-पत्र

आवेदन कर्ता की सर्व्यापित फोटी

		3)51
म् करता	में कि -	सश्चायम्
1.	मेरे पास स्वय या पिते / पत्नी के नाम से जयपुर शहर में राजस्थान आवास िये गये इस आवास संख्या प्रताप नगर, सांगाने मकान किसी भी वर्ग या श्रेणी का नहीं हैं। अथवा निम्नांकित आवास भी	र के अलावा कोई भ
2.	मुझ पर आश्रित किसी भी वयस्क अथवा अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक आवासन मण्डल द्वारा आवंदित कोई भी अन्य मकान किसी भी वर्ग या ह मुझे मेरे पति/पत्नी या मुझ पर आश्रित वयस्क अवयस्क पुत्र/पुत्री/दर्भ	तक पत्र/पुत्री को
4.	मुझे मेरे पति/पत्नी या मुझ पर आश्रित वयस्क अवयस्क पुत्र/पुत्रा/ र स्थानीय निकाय जैसे नगर विकास न्यास, नगर पालिका अथवा जयपुर विक आवंटित आवासीय भूखण्ड लीज होल्ड/फ्री होल्ड पर आवंटित नहीं हुअ गैने अथवा मुझ पर आश्रित सदस्यों ने मकान आवंटित करने के लिये इन आवासन मण्डल, जयपुर में पंजीयन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं वि	ा है। ससे पूर्व राजस्थान
		नक्षर शपथ ग्रहिता
	सत्यनिष्ठा	

म् पुत्र / पत्नी श्री सत्यनिष्ठा से सत्यनिष्ठा से पोषणा करता हूँ कि उपरोक्त पेरा 1 से 4 तक में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं। वे मेरी जानकारी में पूर्णतया सत्य हैं। मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है।

शपथ ग्रहिता हरताक्षर / निशानी अंगूँठा

(शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यापालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।)

Scanned with CamScanner



आवंटी का नाम राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर वृत्त प्रथम, जयपुर मकान नं.

			चालान बुक सं.	2									
योजना		t d	बंक/काउन्टर में जमा की दिनांक	3					No. of the case of				
			किश्त	4			0.00						
			पेनेल्टी/ ब्याज	5	•								100
		ω	लीज	6									
		आवंटी द्वारा भरा जायेगा	सेवा कर जी.एस.टी.	7									
शहर		जायेगा ्	कुल योग	8								2	
वास्तविक	प्रथम मार्गि	The second secon	बैंक का नाम मय ब्रांच का नाम/ काउन्टर नं.	9					The same is a second se	4 6 6 6			-
वास्तविक कब्जा दिनांक	प्रथम मासिक किश्त देय दिनांक.		रोकड़ बही/बेंक विवरण सं.	10									5,000
	नांक	कार्यालय उपयोग हेतु	रोकड़ बही/बेंक विवरण जमा कराने की दिनांक सं.	-11									
		ोग हेतु	जमा राशि रूपये	12									
			सत्यापन क के हस्ताक्ष	13								1	

हस्ताक्षर आवन्टी

कृपया पृष्ठ उलटिये

				m	आवंटा द्वारा भरा जायेगा	नायेगा			कार्यालय उपयोग हेतु	ग हेतु	
चालान बुक सं.	बैक/काउन्दर में	PROM	पेनेल्टी/	T.	सेवा कर	कल योग	का नाम/	रोकड़ बही/बैंक विवरण	जमा कराने की दिनांक	जमा राशि रुपये	सत्यापन कर्ता
		ואסבנו	ब्याज	i cilo	जी.एस.टी.	300	काउन्दर नं.	·ж·			क हस्ताक्षर
2	3	4	5	9	7	8	6	10	11 1600	12	13
-											
				51.16	MIN IN A						
				P 10							
									1.		
						E-					
				631							